न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व अपील संख्या 50 / 2021

1– प्रेम पुत्री श्री जीवण पत्नि श्री दानाराम
2– अन्जु पुत्री श्री जीवण पत्नि श्री रामअवतार
3– गौरया पुत्री श्री जीवण पत्नि श्री मुकेश

समस्त जाति जाट, निवासीगण ग्राम सुरसुरा, हाल निवासी बोकड़ास, तहसील दूदू, जिला जयपुर

4– कोकल पुत्री श्री जीवण पत्नि श्री सूरजकरण, जाति जाट, निवासी ग्राम सुरसुरा, हाल निवासी बांगड़ो की ढाणी, तहसील रूपनगढ, जिला अजमेर
5– श्री रामजीलाल पुत्र श्री जीवण
6– श्री रामदयाल पुत्र श्री कामड़
7– सरजू पत्नि श्री जीवण

समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम सुरसुरा, तहसील रूपनगढ, जिला अजमेर

....................*अपीलान्ट्स*

बनाम

1– श्री परमेश्वर पुत्र श्री रामलाल
2– गलकू पत्नि श्री जगदीश
3– श्री शंकर पुत्र श्री जगदीश
4– श्री गिरधारी पुत्र श्री श्रवण
5– छोटी पत्नि श्री श्रवण
6– श्री मदन
7– श्री रतनलाल
8– श्री सुगनलाल
9– श्री मूलाराम
10– श्री विश्राम
11– श्री हरदयाल

पुत्रगण श्री रामेश्वर

12– श्री रामदेव पुत्र श्री जीवण
13– कविता पुत्री चुका पत्नि श्री रामरतन नाबालिग जरिये संरक्षक पिता श्री रामरतन
14– टीना पुत्री चुका पत्नि श्री रामरतन नाबालिग जरिये संरक्षक पिता श्री रामरतन
15– सीता पुत्री चुका पत्नि श्री रामरतन नाबालिग जरिये संरक्षक पिता श्री रामरतन
16– पवन पुत्र चुका पत्नि श्री रामरतन नाबालिग जरिये संरक्षक पिता श्री रामरतन

समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम सुरसुरा, तहसील रूपनगढ, जिला अजमेर

अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर
अजमेर

17– लवली प्रमोटर्स प्राईवेट लिमिटेड, 47 ए, जकरिया स्ट्रीट, कलकत्ता जरिये डायरेक्टर श्री किशनगोपाल बियाणी पुत्र स्व0 श्री रामेश्वरलाल बियाणी, निवासी कलकत्ता

18– लवली प्रमोटर्स प्राईवेट लिमिटेड, 47 ए, जकरिया स्ट्रीट, कलकत्ता अधिकृत अभिकर्ता श्री गजानन्द अग्रवाल पुत्र श्री महादेव प्रसाद, जाति अग्रवाल, निवासी अग्रसेन नगर, राधा माधव साईजिंग के सामने, वार्ड नं0 10, अजमेर रोड़, मदनगंज किशनगढ़, जिला अजमेर

19– श्री अंजनदीप सरना पुत्र श्री हरविंदर सिंह सरना, जाति सिख, निवासी 11/48, पराग नारायण रोड कल्याण भवन के पास, लखनऊ जी0पी0ओ0 उत्तर प्रदेश

20– श्री रतन गर्ग पुत्र श्री किशोरीलाल, जाति अग्रवाल, निवासी सी–9/5, सैकण्ड फ्लोर, सेक्टर 8, रोहिणी सेक्टर 8, उत्तर पश्चिमी दिल्ली

21– श्री वेदप्रकाश गर्ग पुत्र श्री किशोरीलाल, जाति अग्रवाल, निवासी सी–9/5, सैकण्ड फ्लोर, सेक्टर 8, रोहिणी सेक्टर 8, उत्तर पश्चिमी दिल्ली

22– श्री विनीत बंसल पुत्र श्री सजन बंसल, जाति अग्रवाल, निवासी एच.नं. 148, प्रेम नगर, हिसार, हरियाणा

23– श्री संदीप सरना पुत्र श्री हरविंदर सिंह सरना, जाति सिख, निवासी 11/48, पराग नारायण रोड़ कल्याण भवन के पास, हजरतगंज, लखनऊ उत्तर प्रदेश

24– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रूपनगढ

....................**रेस्पोन्डेन्टस**

अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–
1. श्री मदनलाल गुर्जर, वकील अपीलान्ट्स की ओर से।
2. श्री सुण्डाराम जाट, वकील रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 की ओर से।
3. श्री डूँगरसिंह राठौड़, वकील रेस्पोन्डेन्ट संख्या 17 से 23 की ओर से।
4. श्री ओमप्रकाश गुर्जर, सरकारी वकील।

–: आदेश :–

दिनांक–08.04.2022

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि तहसील रूपनगढ के राजस्व ग्राम सुरसुरा स्थित कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 1820 रकबा 0.6634 हैक्टर के सहखातेदार श्री परमेश्वर पुत्र श्री रामलाल, श्री शंकर पुत्र श्री जगदीश एवं श्रीमति गलकू पत्नि श्री जगदीश, समस्त जाति जाट, निवासीगण ग्राम सुरसुरा, तहसील रूपनगढ, जिला अजमेर एवं लवली प्रमोटर्स प्राईवेट लिमिटेड, 47 ए, जकरिया स्ट्रीट, कलकत्ता जरिये डायरेक्टर श्री किशनगोपाल बियाणी पुत्र स्व0 श्री रामेश्वरलाल बियाणी, निवासी कलकत्ता द्वारा तहसीलदार रूपनगढ के समक्ष आपसी सहमति से अपनी खातेदारी कृषि भूमि का बंटवारा करने बाबत एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के पेश किया।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर
अजमेर

तहसीलदार रूपनगढ द्वारा बाद विधिवत सुनवाई के दिनांक 22.07.2021 को निर्णय पारित किया। उक्त निर्णय अनुसार श्री परमेश्वर पुत्र श्री रामलाल, श्री शंकर पुत्र श्री जगदीश एवं श्रीमति गलकू पत्नि श्री जगदीश, समस्त जाति जाट के हिस्से में खसरा नम्बर 1820/1 रकबा 0.2265 हैक्टर एवं लवली प्रमोटर्स प्राईवेट लिमिटेड, 47 ए, जकरिया स्ट्रीट, कलकत्ता जरिये डायरेक्टर श्री किशनगोपाल बियाणी पुत्र स्व0 श्री रामेश्वरलाल बियाणी, निवासी कलकत्ता के हिस्से में खसरा नंबर 1820/2 रकबा 0.4369 हैक्टर किस्म बारानी-1 बाबत बंटवारा स्वीकार किया गया। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के इसी आक्षेपीय आदेश दिनांक 22.07.2021 से अप्रसन्न होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट्स के नाम नोटिस जारी किये गये। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 व 17 से 24 जरिये वकील उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्ट्स बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। तत्पश्चात पत्रावली बहस हेतु निश्चित की गई।

बहस सुने जाने से पूर्व उभयपक्ष के वकीलों को वकील अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी0पी0सी0 पर सुना गया। वकील अपीलान्ट्स ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित आराजी के सम्बन्ध में अपीलान्ट्स व रेस्पो0 संख्या 17 से 23 के मध्य आपस में राजीनामा हो गया है। इस कारण प्रकरण में रेस्पो0 संख्या 17 से 23 के विरूद्ध किसी प्रकार का अनुतोष शेष नहीं रहा है। अतः प्रकरण में विवादित आराजीयात में रेस्पो0 संख्या 17 से 23 की हद तक स्थगन आदेश मुक्त किये जाने के आदेश प्रदान किये जावें। वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 3 ने वकील अपीलान्ट्स के कथनों का विरोध करते हुए कथन किया कि अपीलान्ट्स व रेस्पो0 संख्या 17 से 23 आपस में मिले हुए हैं तथा उनके बीच दुर्भिसंधि है। वास्तविक तथ्य छिपाकर आपस में मिलकर रेस्पो0 संख्या 1 से 3 की खातेदारी भूमि को हड़पना चाहते हैं। विधि का यह नियम है कि एक बार स्थगन आदेश पारित किये जाने के पश्चात आंशिक रूप से संशोधित किये जाने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। अतः अपीलान्ट्स का प्रार्थना पत्र निरस्त किया जावे। हमने प्रार्थना पत्र तथ्यों एवं उभयपक्ष के वकीलों द्वारा व्यक्त कथनों पर ध्यानपूर्वक मनन किया। विचाराधीन अपील में अपीलान्ट्स द्वारा रेस्पो0 संख्या 17 से 23 पक्षकार बनाया गया है एवं विवादित आराजी के खातेदार होने से उनका पक्ष नीहित है। ऐसी स्थिति में स्थगन आदेश को आंशिक रूप से संशोधित नहीं किया जा सकता। अतः प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

हमने उभयपक्ष के वकीलों की बहस सुनी। वकील अपीलांट्स ने अपील में उठाये गए बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि अपीलान्ट्स व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 16 की पैतृक व पुश्तैनी सहखातेदारी की ग्राम घसवा की ढाणी में आराजी पूर्व खसरा संख्या 75 व 76 एवं ग्राम सुरसुरा में पूर्व खसरा संख्या 1818, 1820 व 1819 स्थित है। विवादित आराजी पूर्व खसरा संख्या 1820 रकबा 0.6634 हैक्टर ग्राम सुरसुरा में स्थित है। बंटवारा प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण द्वारा बंटवारा खसरा संख्या 1820/1 व 1820/2 अंकित किये गये किन्तु आक्षेपीय आदेश में हुई गलती को छिपाने के लिये राजस्व नक्शा ट्रेस में 2911/1820 व 2912/1820 कायम कर दिये गये ताकि विभाजन प्रस्ताव में हुई त्रुटि को इन खसरा संख्या से मिलान नहीं किया जा सके। अपीलान्ट्स व रेस्पो0 संख्या 1 से 16 एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य हैं एवं अपने पूर्वाधिकारियों के समय से पारिवारिक/भाई बंटवारा के समय

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

अपर कलक्टर
अजमेर

व अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है जबकि अधिनियम की धारा 53(1) दिनांक 11.11.1992 को विलोपित की जा चुकी है। सहमति बंटवारा हेतु धारा 53 (2) के (1) के तहत आवेदन किया जाना आवश्यक है। अपीलान्ट्स व रेस्पो0 संख्या 1 से 16 एक ही हिन्दू परिवार के सदस्य है एवं अपने पूर्वाधिकारियों के समय से ही पारिवारिक बंटवारा अनुसार अपने हिस्से में आई उपरोक्त वर्णित भूमियों पर काबिज काश्त हैं तथा तारबंदी व कच्ची पक्की झोंपडी बनाकर अधिवास कर रहे हैं। रेस्पो0 संख्या 9 से 11 द्वारा सदभाविक रूप से अपीलान्ट्स व रेस्पो0 संख्या 4 से 8 व 12 से 16 के पक्ष में हकत्यागनामा निष्पादित कर दिया है। इन तथ्यों की जानकारी होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अवैधानिक रूप से आक्षेपीय आदेश पारित किया गया है। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 13 से 16 नाबालिग है जबकि न्यायालय को नाबालिग के हितों व अधिकारों का एक संरक्षक के रूप से दायित्वों का निर्वहन किया जाना चाहिये था किन्तु विधि के प्रावधानों के विपरीत जाकर नाबालिग खातेदारों को मेगा हाईवे के पीछे कर दिया गया। यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि नाबालिग अवस्था में विभाजन नहीं किया जा सकता अथवा न्यायालय से अनुमति प्राप्त कर नाबालिग के हितों को ध्यान में रखते हुए अपीलाधीन आदेश पारित करना चाहिये था। अन्त में उन्होने कथन किया कि अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपीय आदेश निरस्त किया जावे।

विद्वान वकील अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में वकील रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायोचित है। पक्षकारान द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आपसी सहमति के आधार पर भूमि विभाजन प्रार्थना पत्र एवं बंटवारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बंटवारा प्रस्ताव एवं 500/- रूपये के स्टाम्प पेपर पर सहमति पत्र प्रस्तुत किया है जिस पर पक्षकारान के सहमति स्वरूप अंगूठा निशानी अंकित है एवं फोटोग्राफ भी चस्पा है। सहमति पत्र एवं नक्शा ट्रेस में अपीलान्ट्स एवं रेस्पोन्डेन्ट्स की हिस्सा भूमि को पृथक-पृथक रंगों से दर्शाया गया है जिस पर गवाहान के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी अंकित है। उक्त दस्तावेजों की तस्दीक तहसीलदार रूपनगढ द्वारा की गई है। इसी आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने आक्षेपीय आदेश पारित किया है। बंटवारा अपीलान्ट्स द्वारा स्वयं की इच्छा से एवं स्वतंत्र सहमति के आधार पर किया गया है। सहमति से किये बंटवारे के सम्बन्ध में अपीलान्ट्स को विधिनुसार अपील प्रस्तुत करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। उनका कथन है कि वादग्रस्त आराजी बाबत अपीलान्ट्स के पूर्वजों द्वारा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 17 के पक्ष में दिनांक 16.06.2007 को एक पंजीकृत विक्रय पत्र निष्पादित करवाया गया। विक्रय पत्र में स्पष्ट किया गया है कि बेचानशुदा कृषि आराजी रूपनगढ किशनगढ रोड़ व राजस्व ग्राम घसवा की ढाणी के खसरा संख्या 75 व 76 के लगवा रहेगी एवं शेष आराजी इसके पूर्व दिशा में रहेगी। अपीलान्ट्स के पूर्वजों द्वारा विवादित आराजी की बेचान की मौके की स्थिति को विक्रय पत्र में स्पष्ट रूप से अंकित कर दिया था जिससे अपीलान्ट्स भी विधिनुसार बाध्य है। उन्होने आगे कथन किया कि अपीलान्ट्स व रेस्पो0 9 व 10 ने विवादित आराजियात के सम्बन्ध में घोषणा, बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा हेतु राजस्व वाद संख्या 02/2019 व 03/2019 श्रीमति भंवरी व अन्य बनाम श्री लवली प्रमोटर्स प्रा0 लि0 व अन्य एवं कमलेश व अन्य बनाम लवली प्रमोटर्स प्रा0 लि0 व अन्य अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 व धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं सपठित धारा

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

अपर कलक्टर
अजमेर

125 व 135 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ के न्यायालय में प्रस्तुत किया। इन वादों के अन्तर्गत अपीलान्ट्स/वादीगण द्वारा दिनांक 22.02.2021 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 1 सीपीसी वास्ते वाद विड्रो कर खारिज करने बाबत प्रस्तुत किया जिसके पैरा संख्या 3 में यह अंकित किया गया है कि "वादीगण के जीवण पुत्र बिरदा के द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र दिनांक 18.06.2007 तथा उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से खोले गये नामान्तरकरण संख्या 1659 दिनांक 25.06.2007 को एवं ग्राम घसवा की ढाणी पटवार क्षेत्र मोरडी तहसील रूपनगढ के खसरा संख्या 76 में से वादीगण के पूर्वज जीवण पुत्र बिरदा के द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र दिनांक 18.06.2007 तथा उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार प्रतिवादी संख्या 1 के नाम खोले गये नामान्तरकरण संख्या 86 दिनांक 25.06.2007 को सही होना स्वीकार करते हैं।" अपीलान्ट्स ने प्रार्थना पत्र में विक्रय पत्र को सही होना मानते हुए अंकित किया है कि वादीगण के द्वारा वाद में वर्णित कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का कब्जा व खातेदारी अधिकार को सही होना स्वीकार करने एवं वाद में वर्णित भूमि पर वादीगण का किसी प्रकार का कोई कब्जा काश्त, हक व अधिकार नहीं होना स्वीकार करने के कारण वादीगण का वाद वर्णित कृषि भूमि पर कोई अधिकार नहीं होने से वादीगण वाद को आगे चलाना नहीं चाहते हैं। इस आधार पर अपीलान्ट्स/वादीगण के बंटवारे के वाद स्वयं द्वारा विड्रो किये जाने के कारण दिनांक 22.02.2021 को खारिज हो चुके हैं। उक्त आदेश को अपीलान्ट्स द्वारा किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है। इस प्रकार अपीलान्ट्स द्वारा अपील के माध्यम से विवादित भूमि के सम्बन्ध में पुनः चुनौती दिये जाने का अधिकार नहीं है।

वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 3 ने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित बंटवारा आदेश दिनांक 22.07.2021 पक्षकारों की आपसी सहमति से पारित किया गया है। इसमें वर्णित आराजी वर्तमान खसरा संख्या 2911/1820, 2909/2903 व 178/76 पर रेस्पो0 संख्या 1 से 3 का रेकॉर्डेड खातेदार कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग प्रारम्भ से आज तक निरन्तर चला आ रहा है तथा तारबन्दी करवाकर खरीफ की फसल ज्वार बो रखी है। उक्त आराजी में अपीलान्ट्स का कोई लेना देना नहीं है किन्तु अपीलान्ट्स व रेस्पो0 संख्या 4 से 16 में से कुछ व्यक्तियों द्वारा अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर उक्त फसल को काटकर चोरी का प्रयास करने पर रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा पुलिस थाना रूपनगढ में दिनांक 13.10.2021 को एफ0आई0आर0 संख्या 246/2021 व दिनांक 17.10.2021 को एफ0आई0आर0 संख्या 256/2021 दर्ज करवाई गई जिसकी जांच में पुलिस थाना रूपनगढ ने वर्णित आराजी पर रेस्पो0 संख्या 1 से 3 का कब्जा होना माना है। उनका आगे कथन है कि वादग्रस्त आराजी के खसरा संख्या 76 व 1820 में रेस्पो0 संख्या 1 से 3 व रेस्पो0 संख्या 17 व 18 सहखातेदार थे। दिनांक 22.07.2021 को आपसी सहमति बंटवारा प्रस्ताव के आधार पर खसरा संख्या 76/1 व 1820/1 रेस्पो0 संख्या 1 से 3 के नाम व खसरा संख्या 76/2 व 1820/2 रेस्पो0 संख्या 17 व 18 के नाम दर्ज किया गया। बंटवारा आदेश अनुसार वर्तमान खसरा संख्या 2911/1820, 2909/2903 व 178/76 बने हैं जिसके खातेदार रेस्पो0 संख्या 1 से 3 हैं। उक्त आराजी में अपीलान्ट्स व रेस्पो0 संख्या 4 से 16 खातेदार नहीं होने से बंटवारे के अन्तर्गत पक्षकार नहीं बनाया गया एवं न ही उनकी सहमति व हस्ताक्षर की आवश्यकता थी।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

अपर कलक्टर
अजमेर

अन्त में उन्होने हमारा ध्यान WLC (SC) 2012(1) पेज 156 पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत की ओर आकर्षित करते हुए कथन किया कि विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि विवादित आराजी के सम्बन्ध में पक्षकारों के मध्य आपसी सहमति से बंटवारा हो जाता है तो ऐसे बंटवारे को अपील के माध्यम से चुनौती दिये जाने का किसी भी पक्षकार को कोई विधिक अधिकार नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट निरस्त की जावे।

वकील अपीलान्ट्स व रेस्पो0 संख्या 1 से 3 द्वारा प्रस्तुत बहस के सम्बन्ध मे वकील रेस्पो0 संख्या 17 से 23 का कथन है कि विवादित आराजी व अन्य आराजी बाबत अपीलान्ट्स व रेस्पो0 संख्या 1 से 16 के मध्य आपसी विवाद है। रेस्पो0 संख्या 17 व 18 द्वारा विवादित आराजी व अन्य आराजीयात में से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्रों के भूमि क्रय की गई है तथा अपील में वर्णित आराजी खसरा संख्या 2912/1820 रकबा 0.4369 हैक्टर भूमि रेस्पो0 संख्या 17 से 23 के पक्ष में सहमति विभाजन आदेश के माध्यम से प्राप्त हुए जिसमें वे काबिज काश्त है। उन्होने कथन किया कि दिनांक 18.11.2021 को अपीलान्ट्स व रेस्पो0 संख्या 17 से 23 के मध्य सहमति पत्र/राजीनामा निष्पादित किया गया है जिसके अनुसार यह सहमति हुई है कि उक्त आराजी के सम्बन्ध में हुई सहमति तरमीम में अपीलान्ट्स का किसी भी प्रकार से कोई हित अधिकार व स्वत्व नहीं रहेगा एवं वे रेस्पो0 संख्या 17 से 23 के विरूद्ध किसी भी प्रकार से कोई विधिक कार्यवाही, कानूनी अथवा विधिक दखलअंदाजी नहीं करेंगे। सहमति विभाजन अनुसार रेस्पो0 राजस्व रेकॉर्ड व नक्शे में तरमीम अनुसार अपनी आराजी का विकास करे अथवा रूपान्तरण करवाये या मौके पर किसी प्रकार का निर्माण, चारदीवारी अथवा उद्योग संचालित करे अपीलान्ट्स का किसी प्रकार का कोई उज्र ऐतराज नहीं रहेगा एवं मौके को लेकर किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न नहीं करेंगे। इस प्रकार विवादित भूमि बाबत अपीलान्ट्स व रेस्पो0 संख्या 17 से 23 के मध्य आपसी सहमति/राजीनामा हो गया है। फलस्वरूप अपीलान्ट्स व अन्य रेस्पो0 के मध्य विवाद से रेस्पो0 संख्या 17 से 23 का कोई सम्बन्ध नहीं है।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पक्षकारान द्वारा आपसी सहमति के आधार पर नियमानुसार भूमि विभाजन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा गया है। पक्षकारान द्वारा बंटवारा प्रस्ताव व सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है एवं हिस्सा भूमि को पृथक-पृथक रंगो से दर्शाया गया, जिस पर उनके एवं गवाहान के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी अंकित है तथा पक्षकारान व गवाहान के फोटोग्राफ भी चस्पा है। साथ ही नक्शा ट्रेस में भी हिस्सा भूमि पृथक-पृथक रंगों में दर्शित होकर पक्षकारान व गवाहान द्वारा हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी अंकित किये गये हैं। पक्षकारों द्वारा विवादित आराजी का हिस्सा विभाजन राजीनामा अनुसार स्वीकार किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट्स द्वारा आक्षेपीय आदेश को अपील के माध्यम से चुनौती दिया जाना न्यायोचित नहीं है। हम वकील रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 के इन कथनों से सहमत है कि सहमति के विरूद्ध अपील नहीं की जा सकती। वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 3 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत इस प्रकरण में चस्पा होते हैं।

उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपील अपीलान्ट्स सारहीन एवं भारहीन होने से निरस्त की जाती है।

आदेश आज दिनांक 08.04.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

(कैलाश चन्द्र शर्मा)

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
अपर कलक्टर,अजमेर

न्यायालय अपर जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
अजमेर